

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद—अमेठी।

पत्रांक:— मू0अनु0 / वाहन / कार्यादेश / 2018-19 / १५८३


दिनांक : - 31-03-18

मेसर्स आशीष ट्रेडर्स,
नैबस्ता, जनपद—सुलतानपुर, (उ0प्र0)

आपके सहमति पत्र दिनांक 31.03.2018 के कम में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों हेतु समस्त सामु0स्वा0केन्द्रों भ्रमण हेतु निम्नलिखित 02 वाहनों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियिदा में स्वीकृत दर रु 27500/- प्रति वाहन प्रतिमाह तथा अनुबन्ध व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के दिशानिर्देश के अनुसार उक्त कार्यक्रम में निम्न विवरण के अनुसार ए0आर0टी0ओ0 अमेठी रो रात्यापनोपरान्त जी0पी0आर0एस0 सिरटम से युक्त टैक्सी परमिट वाहन मय कार्यरियल लाइसेन्स धारक वाहन चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

क्र० सं0	कार्यालय का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी	UP36D1876	BOLERO	CC/STA/UP/2015/0000	शिवकुमारी यादव
2		UP36T2436	BOLERO	CC/STA/UP/2017/06574	भगौती प्रसाद

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वाहन अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देश के अनुसार संचालित कराकर बिल, लॉगबुक व जी0पी0आर0एस0 डाटा के प्रिन्ट आउट की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह के 01 तारीख को भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी के समक्ष प्रस्तुत करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद—अमेठी

पत्रांक:— अनुश्रवण / वाहन / कार्यादेश / 2018-19
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक

1. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
5. महाप्रबन्धक एम0 एएड डी0 कार्यक्रम एन0एच0एम0 उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला अधिकारी जनपद अमेठी।
7. ए0आर0टी0ओ0 जनपद अमेठी को इस आशय से कि उपरोक्त सूची में अंकित वाहनों का भौतिक एवं सम्बद्धित प्रपत्रों का सत्यापन करने का कष्ट करें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद—अमेठी

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद—अमेरी ।

पत्रांक – अनुश्रवण / वाहन / कार्यादेश / 2018–19 / 100

दिनांक :- ३१-०३-१८

मेसर्स आशीष ट्रेडर्स,
नौबस्ता, जनपद—सुलतानपुर. (उ0प्र0)

आपके सहमति पत्र दिनांक 31.03.2018 के क्रम में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्टरीय अधिकारियों हेतु समस्त सामुद्रस्वाहा केन्द्रों पर निम्नलिखित 13 वाहनों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निविदा में स्वीकृत दर ₹0 27500/- प्रति वाहन प्रतिमाह तथा अनुबन्ध व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशानिर्देश के अनुसार उक्त कार्यक्रम में निम्न विवरण के अनुसार ₹0 40 आर०टी०ओ० ५० अमेठी से सत्यापनोपरान्त जी०पी०आर०एस० सिस्टम से युक्त टैक्सी परमिट वाहन मय कार्मीशयल लाइसेन्स धारक वाहन चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

क्र० सं०	सामु० / प्रा०स्वा० केन्द्र का नाम	वाहन संख्या	गाड़ी का माडल व मेक	टैक्सी परमिट संख्या	वाहन स्वामी का नाम
1	अमेठी	UP36D9222	BOLERO	CC/STA/UP/2018/00194	विरेक चन्द्र मिश्रा
2	भादर	UP36A6256	BOLERO	CC/STA/UP/2016/05235	वीरेन्द्र कुमार
3	जगदीशपुर	UP32HN7395	BOLERO	UP/32/AITP/2017/1928	चन्द्र पतीयादव
4	तिलोई	UP44AT0065	BOLERO	CC/STA/UP/2016/04419	जाहिन हुसैन
5	सिंहपुर	UP33T8797	BOLERO	CC/STA/UP/201/01807	उमातिवारी
6	गौरीगंज	UP36E8080	BOLERO		जगदीश प्रसाद
7	जामों	UP44T9087	BOLERO	CC/STA/UP/2015/04879	राजन कुमार
8	संग्रामपुर	UP72AC7121	BOLERO	CC/STA/UP/2016/05181	गोविन्द प्रसाद
9	भेटुआ	UP44AT1270	BOLERO	CC/STA/UP/2017/04058	रामकृष्णल
10	मुसाफिरखाना	UP32GA0143	BOLERO		मो० कासिम
11	शाहगढ़	UP32HP1800	BOLERO	CC/STA/UP/2017/02932	अरुण कुमार
12	फुरसतगंज	UP33AT5339	BOLERO	CC/STA/Up/2016/05507	दिलीम सिंह
13	बाजारशुकुल	UP44T8007	BOLERO	UP/42/102/AITP/2014/78	जे०एस० पाण्डेय

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वाहन अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देश के अनुसार संचालित कराकर बिल, लॉगबुक .व जी०पी०आर०एस० डाटा के प्रिन्ट आउट की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह के 01 तारीख को भुगतान हेतु सम्बन्धित अधीक्षक सामूहिक्सा०केन्द्र जनपद अमेठी के समक्ष प्रस्तुत करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-अमेरी

पत्रांकः- अनुश्रवण / वाहन / कार्यदेश / 2018-19
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्तिनांक

- मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 - महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 - महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 - अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
 - महाप्रबन्धक एम० एण्ड डी० कार्यक्रम एन०एच०एम० ड०प्र० लखनऊ।
 - जिला अधिकारी जनपद अमेठी।
 - ए०आर०टी०ओ० जनपद अमेठी को इस आशय से कि उपरोक्त सूची में अंकित वाहनों का भौतिक एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का सत्यापन करने का कष्ट करें।
 - जिला कार्यक्रम प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ।
 - समस्त अधीक्षक, सामु०स्वा०केन्द्र जनपद अमेठी को इस आशय से कि उपरोक्त वाहनों का संचालन अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देश के अनुसार कराते हुए भुगतान लॉगबुक व जी०पी०आर०एस० डाटा के प्रिन्ट आउट की सत्यापित प्रति के साथ करना सुनिश्चित करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-अमेरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 361613

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष
(सेवा प्रदाता)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य संचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेरी।
मेसर्स आशीष ट्रेडर्स, नौबस्ता, जनपद सुलतानपुर।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य संचिव—जिला स्वास्थ्य समिति जनपद अमेरी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में वाहन आपूर्ति हेतु आज दिनांक ३१-०३-१९ को जनपद अमेरी में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि १५.०४.१९ से 31.03.2019 होगी।

- द्वितीय पक्ष जनपद अमेरी के समस्त 13 विकास खण्डों में प्रति ब्लाक 02 टैक्सी परमिट कार्मशियल वाहन (बोलेरो, टक्केरा, स्कर्पिंयो इत्यादि (6+1 सीटर) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु वाहन की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
 - (क) सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमोदित निविदा में अंकित वाहनों के अनुसार वाहन उपलब्ध करायेगा जिस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा ₹ 27500/- प्रति टैक्सी परमिट कार्मशियल वाहन प्रतिमाह की दर से प्रति वाहन सेवा प्रदाता एजेन्सी को सम्बन्धित सामुदायिक केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के उपलब्ध कराये गये कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर करेगा।
 - (ख) वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिए।

- वाहनों में जी०पी०आर०एस० उपकरण लगा होना चाहिए, भुगतान देयक के साथ जी०पी०आर०एस० के डाटा का प्रिन्ट आउट लगा होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। बिल/भुगतान देयक के साथ लाग बुक/डियूटी स्लिप तथा आर०बी०एस०के टीम लीडर द्वारा हस्ताक्षरित जी०पी०आर०एस० डाटा का प्रिन्ट आउट की प्रति के साथ देयक प्रपत्र प्राप्त होने पर ही अधीक्षक सामुदायिक केन्द्र द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- वाहनों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर०बी०एस०के०) का लोगो अंकित होना चाहिए।
- वाहन टैक्सी परमिट युक्त कार्मशियल वाहन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तथा वर्ष 2014 से पुराना वाहन न हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) व बीमा कम्पनी द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स कम्पनी की होगी।

२१.३.१८

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 361614

(ग) वाहन का पूर्ण बीमा, टैक्सी में पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि अपडेट होना अनिवार्य है।
वाहन चालक के पास कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

(घ) वाहन के संचालन (वाहन चालक की मजदूरी) एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को ₹ 1000/- अथवा यथोचित अर्थदण्ड प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

(छ) माह में कम से कम 25 दिन वाहन सम्बन्धित कार्य स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए तथा आरोबी०एस०के० टीम के विजिट पर न जाने की स्थिति में प्रशासनिक कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम ₹ 429000/- की धरोहर राशि बैंकस चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/किसी राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी कान्ट्रैक्ट होने के 07 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा उक्त धरोहर राशि की समयावधि कार्य अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से 60 दिन अधिक होगी। जिससे कि यदि सेवाप्रदाता का अनुबन्ध बढ़ाया जा सके तथा जो किसी भी पक्ष के द्वारा 01 माह के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराये गये टैक्सी परमिट कामर्शियल वाहनों का माडल, निमार्ण वर्ष, पजीकरण नम्बर इन्स्योरेन्स वाहन स्वामी का नाम व पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदा में प्राप्त दर की स्वीकार्यता सेवा प्रदाता को न्यूनतम 02 वर्ष हेतु देना होगा।
5. द्वितीय पक्ष प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे (सामु०स्वा०केन्द्र पर पहुचने पर) वाहन का किसी अधीक्षक/प्रभारी विकित्साधिकारी की देख-रेख में नोट किया जायेगा तथा उसी समय अधीक्षक/प्रभारी विकित्साधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा। इस रीडिंग को सायंकाल 6 बजे के बाद वापस आने का किमी० पुनः लागबुक पर नोट कर अधीक्षक/प्र०चि० अधिकारी से लाग बुक पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष को वाहन चलाने वाले चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित/सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्रों में सूचना पट पर अंकित किया जाय, तथा सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन/चालक की सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का मोबाइल/लैपटॉप लाइन नं० तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नं० दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन

- चालक कभी भी नसे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें ऐसा पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध
9. एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 9 :00 बजे से सायं 6: 00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर नियत भुगतान जी०डी०एस० डाटा की प्रिन्ट आउट के साथ अधीक्षक/प्र०चिकित्साधिकारी से सत्यापित कराकर द्वारा उचित माध्यम आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।
 10. वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होती बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा।
 11. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/योजनाओं के प्रचार सामाजी एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
 12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
 13. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों का मान्दा होगा।
 14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोष जनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकेगा एवं स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नहीं पायी जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिवस की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
 15. यदि वाहन/वाहन चालक परिवर्तित की जाती है तो उसकी पूर्ण सूचना/विवरण 02 दिवस पूर्व देनी होगी। वाहन चालक समुचित ड्रेस में कार्य समय में उपस्थित रहेंगे।
 16. जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद अमेरी के पास जनहित/कार्यहित में समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
 17. इनकमटैक्स एक्ट के अनुसार टी०डी०एस० की कटौती सेवाप्राप्ता के भुगतान से की जायेगी।
 18. वाहन द्वारा कम से कम 1000 किमी० प्रतिमाह चलना आवश्यक होगा। गैरेज से गैरेज अधिकतम 20 किमी० अतिरिक्त अनुमत्य होगा।
 19. सभी वाहनों में सफेद सीट कवर लगा होना चाहिए तथा समय-समय व धुला व बदला जाना चाहिए। वाहन का भीटर सही तरीके से कार्य करता रहे तथा उसके अनुसार वाहन चालक द्वारा लागबुक मेनटेन किया जाय।
 20. सेवाप्रदाता को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित समय व शिड्यूल का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि शिड्यूल/समय के पालन में किसी प्रकार की देरी होती है तो जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार होगा कि—
 - (A) Hire the Taxi elsewhere at the cost and risk of the agency plus Rs 1000/- per shall be deducted from the bill as penalty
 - (B) Cancel the contract without prejudice to the right under (a) at above and also forfeit the earnest money/security deposit.
 21. शनिवार को टीम स्कूल/आंगनवाड़ी में विजिट नहीं करेगी परन्तु उपचार हेतु सन्दर्भित बच्चों चिकित्सालय लाना तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला चिकित्सालय ले जाना होगा।

स्थान— अमेरी

दिनांक— ३१.३.१८

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला
स्वास्थ्य सोसाइटी अमेरी (प्रथम पक्ष)

३१.३.१८

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता द्वितीय पक्ष